

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 288 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आवास फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री देवीलाल पिलानियां
कॉरपोरेट एवं रजिस्टर्ड कार्यालय:- 201-202, द्वितीय तल, साउथ हेण्ड, स्कवायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. 302020
शाखा कार्यालय:- द्वितीय तल, पार्वती टॉवर, पोलो ग्राउण्ड, हरीराम मार्ग, चांदपोल
सीकर राज. 332001

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. काना राम पुत्र झूथा राम
प्रथम पता:- 315, ग्राम धोद जिला सीकर राजस्थान 332002
द्वितीय पता:- पट्टा नं. 34, धोद जिला सीकर राजस्थान।
2. राम नरोत्तम पुत्र काना राम निवासी वार्ड न. 08, ग्राम धोद जिला सीकर राज.
3. मुकेश कुमार पुत्र काना राम निवासी वार्ड न. 08, ग्राम धोद जिला सीकर राज.
4. संतोष देवी पत्नी काना राम निवासी वार्ड न. 08, ग्राम धोद जिला सीकर राज.

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री परिवेश कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः काना राम पुत्र झूथा राम, राम नरोत्तम पुत्र काना राम, मुकेश कुमार पुत्र काना राम व संतोष देवी पत्नी काना राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा नं. 34, धोद जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 167.01 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में महेश का मकान, पूरब दिशा में सामलाती रास्ता व पश्चिम दिशा में मोहन का

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹6,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये छः लाख) का ऋण स्वीकृत कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री बाबुलाल शर्मा उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 05.07.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः काना राम पुत्र झूथा राम, राम नरोत्तम पुत्र काना राम, मुकेश कुमार पुत्र काना राम व संतोष देवी पत्नी काना राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति सं. 1 पट्टा सं. 34, धोद जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 167.01 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में महेश का मकान, पूरब दिशा में सामलाती रास्ता व पश्चिम दिशा में मोहन का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर